प्रेषक,

वित्त एवं लेखाधिकारी
बेसिक शिक्षा–प्रतापगढ

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
प्रतापगढ।

पत्रांक–बे0 / ले0सं0 / / ज्येष्ठता / 2023–24 दिनांक– [illegible]

विषयः– पदोन्नति मे आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के संबंध मे सिविल अपील संख्या 2608 / 2011 यू0पी0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम राजेश कुमार व अन्य मे मान्नीय सर्वोच्य न्यायाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.2012 का अनुपालन कराये जाने संबंधी निर्गत शासनादेश दिनांक 21.08.2015 का कियान्वयन किये जाने के संबंध में।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक–897–903 / 2023–24 दिनांक 05.12.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जो पदोन्नति मे आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के संबंध मे सिविल अपील संख्या 2608 / 2011 यू0पी0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम राजेश कुमार व अन्य मे मान्नीय सर्वोच्य न्यायाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.2012 का अनुपालन कराये जाने संबंधी निर्गत शासनादेश दिनांक 21.08.2015 का क्रियान्वयन किये जाने से सम्बन्धित है उक्त के संबंध मे अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 21.08.2015 मे निम्न कार्यवाही किये जाने का स्पष्ट निर्देश दिया गया हैं।

1– दिनांक 05.11.1997 से 28.04.2012 के मध्य अनु0जाति एवं जनजाति कोटे के अन्तर्गत पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियो को, पदोन्नति प्राप्त कार्मिक से कनिष्ठ कर्मचारी जिस स्तर पर कार्यरत है उस स्तर पर उन्हे पदावन्त किया जाये।

2– पदावनत कर्मचारी के पदावनत के ठीक पहले के माह मे प्राप्त कुल मासिक परिलब्धियां तब तक फ्रीज्य रहेगी, जब तक पदावनत कर्मचारी से आसन्न वरिष्ठ कर्मचारी की परिलब्धियां उसके बराबार या उससे अधिक न हो जाये।

3– आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नति कार्मिक, पदावनत पद के अनुरूप ही समस्त सुविधाये प्राप्त करेगे।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने उक्त पत्र दिनांक 05.12.2023 द्वारा शासनादेश दिनांक 21.08.2015 मे प्रदत्त उक्त व्यवस्था अनुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था किन्तु अभी तक आप द्वारा कोई कार्यवाही नही की गयी, कार्यवाही न किये जाने से शासनादेश का अनुपालन नही हो पा रहा है अधोहस्ताक्षरी के परिज्ञान मे आया है कि वर्ष 1997 से 2012 के मध्य पदोन्नति प्राप्त शिक्षको को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पदावनत नही किया गया है और शासनादेश के विपरित पदोन्नति प्राप्त शिक्षको को पदोन्नति के आधार पर 10 वर्ष की सेवा के बाद चयनवेतनमान भी स्वीकृत किया जा रहा है जो उक्त शासनादेश मे वर्णित प्राविधानो का स्पष्ट उल्लधन है और चयनवेतनमान मे वेतन का भुगतान पूर्णतया अनियमित है।

अतः आपसे पुनः शासनादेश दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम मे निम्न कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है।

1– वर्ष 1997 से 2012 के मध्य अनु0जाति / जनजाति के कोटे मे पदोन्नति प्राप्त शिक्षको की पदावनत कर दिया जाना नियम संगत होगा।

2— उक्त पदोन्नति प्राप्त शिक्षको को पदोन्नति पद के आधार पर शासनादेश के विपरित अनियमित रूप से स्वीकृत चयनवेतनमान/प्रोन्नतवेतनमान तत्काल निरस्त किया जाना। शासनादेश के आलोक मे नियमसंगत होगा।

3— वर्ष 1997 से 2012 के मध्य जनपद मे उक्त प्रकार शिक्षको की सूची तथा सेवापंजिका विकास खण्डवार तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाये जिससे शासनादेश के अनुसार वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जा सके।

प्रकरण अधिक महत्वपूर्ण एवं शासनादेश के विपरित अनियमित भुगतान से संबंधित है अतः सर्वोच्य वारीयता प्रदान की जाये।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

वित्त एवं लेखाधिकारी
बेसिक शिक्षा—प्रतापगढ।

पत्रांक—बे0/ले0सं0/ 1033-39 /2023—24 दिनांक—उपरोक्त।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा उ0प्र0 लखनऊ।

2— महानिदेशक, स्कूल शिक्षा उ0प्र0 लखनऊ।

3— शिक्षा निदेशक, बेसिक उ0प्र0 लखनऊ।

4— वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 प्रयागराज।

5— समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ को इस आशय से प्रेषित कि अपने विकास खण्ड मे उक्त प्रकार के शिक्षको की सूची तैयार कर एक प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ को प्राप्त कराये एवं दूसरी प्रति संबंधित शिक्षको की सेवा पुस्तिका के साथ अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराये जिससे उक्त प्रकरण मे शासनादेश के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही की जा सके। यदि आप द्वारा सूची 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी को नही उपलब्ध करायी जाती है तो अधोहस्ताक्षरी बाध्य होकर माह जनवरी 2024 का वेतन का आहरण अवरूद्ध कर दिया जायेगा और अनियमित वेतन भुगतान मे आपकी सहभागिता मानते हुए शासन/विभाग को आपके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध कर दिया जायेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

6— समस्त लेखाकारगण कार्यालय वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रकार के शिक्षको की विकास खण्डवार सूची खण्ड शिक्षा अधिकारियो से प्राप्त होने पर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये जिससे प्रश्नगत प्रकरण मे नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

वित्त एवं लेखाधिकारी
बेसिक शिक्षा—प्रतापगढ।